रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 542] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 1971/कार्तिक 12, 1893

No. 542] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 1971/KARTIKA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November 1971

S.O. 5079.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Seventh Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, for clause (8), the following clause shall be substituted, namely:—

"(8) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), by the Commissioner (Revision Applications) or the Director or Assistant Director, Tax Credit (Export) Division or the Director (Drawbacks), or the Director (Tax Research Unit) in the Central Board of Excise and Customs or the Director (Tax Planning and Legislation) in the Central Board of Direct Taxes, in that Department; or"

[No. F. 3/2/71-Public.I.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1971

का० आ० 5079.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) सातवां संशोधन नियम, 1971 होगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 1958 के नियम 2 में, खण्ड (8) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(8) वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के आयुक्त (पुनरीक्षण आवेदन) या निदेशक या सहायक निदेशक, प्रतिदेय कर (निर्यात) प्रभाग, या निदेशक (वापसी), या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के निदेशक (कर अनुसंधान एकक) या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निदेशक (कर योजना और विधान) द्वारा ; या"

[सं० फा० 3/2/71-पब्लिक-1]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971